सं.1–1/एनीमर्स/2014
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
आयुर्विज्ञान षिक्षा एवं अनुसंधान समिति (एनीमर्स)
सदस्य सचिव का कार्यालय
(स्वास्थ्य सेवा निदेषालय)
****

<u>एनीमर्स में परामर्षदाता की नियुक्ति</u>

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान षिक्षा एवं अनुसंधान समिति (एनीमर्स), जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के तहत् पंजीकृत एक समिति है, यह समिति इसके द्वारा स्थापित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के लिए परामर्षदाता के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले उपयुक्त आयुर्विज्ञान विषेषज्ञों से आवेदन आमंत्रित करते हैं।

यह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जिसे **'अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान (एनीम्स्)'** के नाम जाना जाता है, कि स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद के मार्गदर्षनों का अनुपालन करते हुए पोर्ट ब्लेयर के जिला अस्पताल के उन्नयन एवं अस्थायी आधारभूत संरचनाओं का सृजन करके प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों के प्रवेष की प्रावधान के साथ शैक्षणिक सत्र 2015–16 के दौरान पॉण्डिचेरी विष्वविद्यालय के साथ संबंधन से किया गया।

इस द्वीप समूह में भारतीय चिकित्सा परिषद के मार्गदर्षनों के अनुकूल एक पूर्णतया विकसित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सहायक संस्थानों की स्थापना के उद्देष्य से अण्डमान तथा निकोबार प्रषासन के द्वारा आबंटित भूमि पर इस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के लिए आवष्यक भवनों के निर्माण से संबंधित सिविल कार्य भी आरंभ हो चुका है।

परामर्ष्दाता, जिनको नियोजित करने का प्रस्ताव है, को न केवल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के सुचारू रूप से कार्य करने में निदेषक/ डीन की सहायता करना और भारतीय चिकित्सा परिषद, विष्वविद्यालय एवं अन्य सांविधिक निकायों से अनुमतियों और/या अन्य अनापत्तियों का समय पर नवीकरण करवाना बल्कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के नए परिसर में आवष्यक आधारभूत संरचनाओं के सृजन के लिए विषेषज्ञ राय/मार्गदर्षन भी प्रदान करना होगा।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.10.2016 के 1500 बजे तक का है। अन्य विवरण जैसे कार्य–क्षेत्र/कार्यों का विवरण, पात्रता, निबंधन एवं शर्तें, वेतन, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इत्यादि के लिए कृपया वेबसाइट www.andaman.gov.in. को देखें।

सदस्य सचिव
कार्य परिषद(एनीमर्स)/
स्वास्थ्य सेवा निदेषक

सं.1–1/एनीमर्स/2014
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
आयुर्विज्ञान षिक्षा एवं अनुसंधान समिति (एनीमर्स)
सदस्य सचिव का कार्यालय
(स्वास्थ्य सेवा निदेषालय)
****

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक अक्टुबर, 2016

<u>एनीमर्स में परामर्षदाता की नियुक्ति</u>

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान षिक्षा एवं अनुसंधान समिति (एनीमर्स), जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के तहत् पंजीकृत एक समिति है एवं अण्डमान तथा निकोबार प्रषासन के अधीन केन्द्र/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के शत प्रतिषत सहायिकी पर कार्य कर रहा है। इन द्वीपों के विद्यार्थियों के हित के लिए आयुर्विज्ञान षिक्षा एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने तथा यहाँ के स्थानीय जनसंख्या को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अन्य सहायक संस्थाओं की स्थापना के लिए इस समिति का पंजीकरण किया गया।

इस समिति ने एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जिसे **'अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान (एनीम्स्)'** के नाम जाना जाता है, कि स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद के मार्गदर्षनों का अनुपालन करते हुए पोर्ट ब्लेयर के जिला अस्पताल के उन्नयन एवं अस्थायी आधारभूत संरचनाओं का सृजन करके प्रतिवर्ष 100 विद्याथियों के प्रवेष की प्रावधान के साथ शैक्षणिक सत्र 2015–16 के दौरान पॉण्डिचेरी विष्वविद्यालय के साथ संबंधन से किया गया। इस समिति का भविष्य में यहाँ पर एक चरणबद्ध स्तर पर नर्सिंग महाविद्यालय, पारा–मेडिकल संस्थानों, स्नातकोत्तर संस्थानों की स्थापना करने की योजना है। भारतीय चिकित्सा परिषद के मार्गदर्षनों के अनुकूल पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं के सृजन के लिए सरकार ने पर्याप्त भूमि का आबंटन भी कर दिया है और सिविल कार्य भी आरंभ हो चुका है।

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने तथा नए परिसर में आधारभूत संरचनाओं के सृजन से संबंधित सभी मामलों में भारतीय चिकित्सा परिषद के मार्गदर्षनों का निरंतर अनुपालन सुनिष्चित करने तथा अन्य सहायक संस्थाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए यह समिति एक आयुर्विज्ञान विषेषज्ञ, जिसके पास इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो, की सेवाओं को संविदा के आधार पर परामर्षदाता के रूप में, आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे आपसी सहमति से वर्ष दर वर्ष के लिए बढाया भी जा सकता है, नियोजित करने का प्रस्ताव देता है।

कार्य–क्षेत्र/कार्यों का विवरण, पात्रता का मानदंड, वेतन तथा अन्य विवरण अधोलिखित हैः–

क. कार्य–क्षेत्र/कार्य का विवरण:

1. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के रोज़मर्रा के कार्यों में निदेषक/डीन का मार्गदर्षन/ सहायता करना तथा आने वाले वर्षों में अनुमति को नवीकृत करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद के मार्गदर्षनों का अनुपालन करना एवं अन्य संगत अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने के लिए विष्वविद्यालय या अन्य ऐसे निकायों के साथ संपर्क बनाए रखना।
2. नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में विभिन्न संस्थापनाओं के लिए योजना एवं प्राक्कलन तैयार करने के लिए तकनीकी इनपुट(आयुर्विज्ञान)प्रदान करना।
3. नए कैम्पस में आधारभूत संरचनाओं के विकास से संबंधित सिविल एवं अन्य कार्यों का समन्वयन।
4. विभिन्न सहायक संस्थान जिनको आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कैम्पस में स्थापित करना है, को प्राथमिकता देना।
5. नए कॉम्पलेक्स में अन्य सहायक संस्थाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डी.पी.आर.)तैयार करना और संबंधित प्राधिकारियों से सांविधिक अनापत्ति प्राप्त करना।
6. प्रत्येक संस्थान की स्थापना के लिए लागत का विष्लेषण करना।

ख. पात्रता के मानदंड :

1. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 31.10.2016 को अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष से कम होना चाहिए। उम्मीदवारों को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय(ों) की स्थापना करने में पर्याप्त अनुभव होने की योग्यता के मामले पर समिति/अण्डमान तथा निकोबार प्रषासन इसमें (आयु सीमा) रियायत/ढील दे सकता है।
2. उम्मीदवार भारत में स्थित किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान संस्थान से आयुर्विज्ञान स्नातक(एम.बी.बी.एस.) सहित स्नातकोत्तर की उपाधि धारक होना चाहिए।
3. उम्मीदवार को किसी प्रतिष्ठित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 15 वर्षों तक अध्यापन कार्य करने का अनुभव होना चाहिए एवं जिसमें से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में निदेषक/प्रोफेसर के रूप में कार्य किया हो।
4. उम्मीदवार को आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना करने में परामर्षदाता की सेवाएँ प्रदान करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।
5. उम्मीदवार को आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना/प्रचालन तथा विष्वविद्यालयों के साथ संबंधन से संबंधित भारतीय चिकित्सा परिषद के मार्गदर्षनों का पर्याप्त एवं अद्यतन ज्ञान होना चाहिए।
6. उम्मीदवार को आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के विभिन्न नियमों एवं विनियमों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए तथा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सहायक संस्थानों के लिए नियम एवं विनियम बनाने के लिए सक्षम होना चाहिए।

ग. निबंधन एवं शर्तें:

1. संविदागत नियोजन आरम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए है, जिसे आपसी सहमति से वर्ष दर वर्ष के आधार पर बढाया जा सकता है।
2. प्रतिमाह देय समेकित वेतन रूपए 2,25,000/– है।
3. परामर्षदाता को किरायामुक्त अनफर्निषड् आवास प्रदान किया जाएगा तथा सरकारी काम के लिए ड्राइवर के साथ वाहन भी प्रदान किया जाएगा।
4. परामर्षदाता ग्राहयता के आधर पर सरकारी ड्यूटी/काय्र के लिए यात्रा भत्ता/दौनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।
5. परामर्षदाता प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों का अर्जित अवकाष एवं 08 दिनों का आकस्मिक अवकाष पाने के हकदार होंगे।
6. चयनित उम्मीदवार को निदेषक/डीन एवं एनीमर्स/ अण्डमान तथा निकोबार प्रषासन के अन्य अधिकारियों के साथ तालमेल/समन्वय से कार्य करना होगा तथा अपने कार्य की प्रगति /स्थिति से संबंधित आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
7. परामर्षदाता की सेवाओं को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए एक माह की सूचना पर या वेतन का भुगतान करके समाप्त किया जा सकता है।
8. परामर्षदाता एनीमर्स/ एनीम्स के पदाधिकारियों के लिए लागू होने वाले नियमों एवं विनियमों के अधीन शासित होंगे।
9. परामर्षदाता को संविदागत बाध्यता को निभाने के लिए उनके एक माह के वेतन के समतुल्य राषि को प्रतिभूति जमा के रूप में एनीमर्स के पास जमा रखना होगा तथा जब एनीमर्स से उनकी सेवाएँ हो जाएगी तब इस राषि को बिना ब्याज के उनको वापस कर दिया जाएगा।
10. चयनित उम्मीदवार को उनके चयन से संबंधित सूचना प्रदान किए जाने की तिथि से 20 दिनों के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।
11. परामर्षदाता को निबंधन एवं शर्तों/बाध्यता का अनुपालन करने के लिए उचित अंकित मूल्य के गैर–न्यायिक स्टांप पेपर में एक करार निष्पादित करना होगा।

घ. चयन की पद्धति :

उम्मीदवारों का चयन उनके अर्हता, अनुभव एवं साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर किया जाएगा।

ङ आवेदन कैसे करें :

पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार संलग्न प्रपत्र में अपने जीवन–वृत्त को ई–मेल द्वारा ई–मेल पता osdmc.ani@gmail.com में भेजें तथा उसकी हार्ड कॉपी जिसके साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि से संबंधित सभी संगत दस्तावेजों की स्व–अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करके स्पीड पोस्ट द्वारा सदस्य सचिव, कार्य परिषद(एनीमर्स) /स्वास्थ्य सेवा निदेषक, स्वास्थ्य सेवा निदेषालय, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अबरडीन–744104, पोर्ट ब्लेयर के पते पर भेजें ताकि यह आवेदन प्रेषिती के पास दिनांक 31.10.2016 तक पहुँच जाए।

नोटः ऐसे उम्मीदवार जो उपरोक्त पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और उपरोक्त समर्थक दस्तावेजों को अपने आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है, उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के पत्राचार पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।

(डॉ. षिप्रा पॉल)
सदस्य सचिव, कार्य परिषद(एनीमर्स) /
स्वास्थ्य सेवा निदेषक, अ.तथा नि. प्रषासन

संलग्नक

<u>प्रपत्र</u>

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान षिक्षा एवं अनुसंधान समिति(एनीमर्स) में परामर्षदाता के पद के लिए आवेदन प्रपत्र

यहाँ पर स्वयं अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ चिपकाएँ।

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">नाम (बड़े एवं साफ अक्षरों में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पिता / पति का नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">जन्म तिथि (क्रिस्टीयन इरा में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">राष्ट्रीयता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">पत्राचार के लिए डाक पता (बड़े एवं साफ अक्षरों में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">ई–मेल आई.डी.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">सम्पर्क के लिए दूरभाष संख्या
टेलीफोनः
मोबाइलः</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8..</td><td colspan="4">शैक्षणिक / वृत्तिक योग्यता(दसवीं कक्षा से आरम्भ करें)</td></tr>
<tr><td></td><td>क्रमांक</td><td>योग्यता</td><td>बोर्ड / विष्वविद्यालय</td><td>परीक्षा उत्तीर्ण होने का माह एवं वर्ष</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
9.	**अनुभव (काल क्रमानुसार)**			
	क्रमांक	क्षमता	अवधि	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
10.	**संलग्नकों की सूची**			
1.				
2..				

दिनाँकः

स्थानः

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम